बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक–I

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी के प्रबंधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के कार्य निष्पादन सहित उद्योग के परिदृश्य के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

व्यापार परिवेश

वैश्विक व्यापार परिवेश

वर्ष 2017 में, जब से वैश्विक विकास गिरकर 4 प्रतिशत के करीब आया है, तब से इसमें लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 2018 में यह गिरकर 3.6 प्रतिशत और आगे वर्ष 2019 में यह गिरकर 2.9 प्रतिशत तक आ गई है। वर्ष 2020 के प्रारंभ में कोविड–19 महामारी के आने से और इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य संकट के चलते दुनिया भर में गंभीर मानवीय क्षति हुई और आर्थिक क्रियाकलापों पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा। परिणास्वरूप, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 2020 में 3 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आने का अनुमान है। एक बेसलाइन परिदृश्य, जिसमें यह आकलन किया गया है कि वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में इस महामारी के प्रभाव में कमी आने की संभावना है और इस पर नियंत्रण के प्रयास धीरे–धीरे सामने आएंगे तथा इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2021 तक 5.4 प्रतिशत तक करने की संभावना है क्योंकि नीतिपरक मदद से आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य होंगे। जैसे–जैसे देश महामारी का सामना करेंगे, उनमें से कई देशों में अनेक प्रकार के संकट आएंगे, जिनमें स्वास्थ्य की समस्या, घरेलू अर्थव्यवस्था की समस्या, बाहरी मांग में गिरावट, पूंजीगत प्रवाह की वापसी और वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता शामिल है। बाजार की गिरावट को रोकने के लिए कई उन्नत देशों में राजकोषीय मदद में बहुत ही तेजी आई है और यह मदद काफी बड़ी रही है। कई उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने महत्वपूर्ण राजकोषीय और आर्थिक सहायता देना अथवा घोषणा करना शुरू कर दिया है तथा इससे इस क्षेत्र पर और इसके कामगारों पर भारी प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार के व्यापक वित्तीय प्रोत्साहन से कारोबारी व्यवस्था की तीव्र गिरावट को पहले ही रोका जा सकता है, मांग को बढ़ाया जा सकता है और यहां तक कि अत्यधिक मंदी को भी रोका जा सकता है।

प्रभावित क्षेत्रों में पूर्ण उत्पादन की बहाली करने में लम्बा विलंब कई देशों में विनिर्माण क्षेत्रों की कमजोर स्थिति में और बढ़ावा देता है। महामारी के केंद्र, चीन ने भी अपने उत्पादन क्रियाकलापों में तीव्र गिरावट देखी है। इसके अलावा, सीमापार के व्यापार की मौजूदा मांग और आपूर्ति पर पुनः ध्यान देने में भू–राजनैतिक बदलाव भी सशक्त कारण रहे हैं। इन बदलावों से आने वाले समय में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

आज दुनिया भर में 840 मिलियन लोग बिना बिजली के रहते हैं तथा कई सौ मिलियन और भी लोग पर्याप्त और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति के बिना रहते हैं। करीब 3 बिलियन लोग लकड़ी या अन्य बायोमास जैसे प्रदूषणकारी ईंधनों का इस्तेमाल करते हैं, जिनके परिणामस्वरूप इनडोर और आउटडोर वायु प्रदूषण तथा स्वास्थ्य का जोखिम रहता है। यद्यपि, इस समस्या से निजात पाना कठिन है, लेकिन वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। नवीकरणीय ऊर्जा देशों की आधुनिक और सुरक्षित ऊर्जा प्रणालियों के विकास में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए कम लागत आने से इस संक्रमण में मदद मिल रही है, जबकि नई प्रौद्योगिकियों जैसे स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटर और भूस्थानिक डाटा प्रणालियों से ऊर्जा की नियोजन प्रक्रिया सुस्पष्ट हो रही है।

बड़े पैमाने पर नई संकल्पनाओं जैसे ग्रिड और ऑफ ग्रिड विद्युतीकरण से कई देशों में ऊर्जा की पहुँच में भी वृद्धि हुई है। अन्य देशों में ऊर्जा की पहुँच में जो कमी थी, उसे छोटे ग्रिडों से पूरा किया जा रहा है। साथ ही, सोलर होम सिस्टम विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर एशिया और सब–सहारा अफ्रीका में काफी किफायती होते जा रहे हैं। ई–वाहनों का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ई–वाहनों की संख्या वर्ष 2040 तक बढ़कर 350 मिलियन के करीब पहुँचने की संभावना है, जिसमें से करीब 300 मिलियन तो केवल पैसेंजर कारें ही होंगी।

भारतीय कारोबारी परिवेश

1.3 बिलियन आबादी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और विद्युत की खरीद में तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत में हाल के दशकों में सशक्त आर्थिक निष्पादन देखने में आया है, जिससे गरीबी के स्तर में महत्वपूर्ण कमी आई है, यहां के नागरिकों को बेहतर ऊर्जा सुलभ हुई है, और देश भर में स्वच्छ ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। भारत ने 9 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य रखा है, जिससे भारत 2024–25 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, और यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। देश का सुस्थिर आर्थिक विकास होने से यहां ऊर्जा संसाधनों, ऊर्जा प्रणालियों और अवसंरचना की भारी मांग होगी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कोविड–19 महामारी और विश्वव्यापी लॉकडाउन के साथ वर्ष के अंत में भारत की अर्थव्यवस्था 4.2 प्रतिशत तक बढ़ी है। इस महामारी से निरंतर आ रही चुनौतियों को देखते हुए वैश्विक वित्तीय संस्थानों और रेटिंग एजेंसियों ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में आर्थिक उत्पादन में और भी गिरावट आने का अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 4.5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है। तथापि, यह भी अनुमान है कि देश वर्ष 2021 में 6 प्रतिशत के विकास के साथ पुनः आगे बढ़ेगा।

कोविड–19 लॉकडाउन के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए आरबीआई ने तेजी से कार्रवाई की और अनेक उपाय शुरू किए। आरबीआई ने 15 वर्ष की सबसे कम 4 प्रतिशत रेपो रेट घटाई, रिवर्स रेपो रेट 3.35 प्रतिशत घटाई, बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों ने छः माह तक सावधि ऋणों के लिए ईएमआई रोकी/मोरेटोरियम बढ़ाया और नकद रिजर्व अनुपात में कटौती करके लिक्विडिटी बढ़ाई। दिनांक 9 अप्रैल, 2020 को आरबीआई ने अपनी अर्धवार्षिक आर्थिक नीति रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की वास्तविक जीडीपी बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020–21 में 5.5 प्रतिशत होगी। तथापि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लम्बी अवधि का लॉकडाउन होने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विश्व बैंक ने भी 2020–21 के लिए 5 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान करते हुए ऋण की सुस्त चाल के चलते भारत से अपनी अपेक्षाओं को कम किया है।

देश में विद्युत क्षेत्र में कोविड–19 के चलते सीमित बाधा आई है, क्योंकि विद्युत से संबंधित सेवाएं आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आती हैं। तथापि, इस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। विद्युत के लिए मांग में वाणिज्यिक और औद्योगिक क्रियाकलाप में कमी होने के कारण काफी गिरावट आई है। आपूर्ति में भी उत्पादकों के कुछ शटडाउन के चलते यही स्थिति रही है। नवीकरणीय ऊर्जा में उत्पादन के मिश्रण में उनका

हिस्सा बढ़ाकर काफी संभावनाएं हैं। विगत वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत तक विद्युत की कीमत में गिरावट आना प्रणाली में सरप्लस विद्युत उपलब्ध होना दर्शाता है। विद्युत के वितरण पर राजस्व की वसूली में कमी आने से सबसे अधिक प्रभाव पड़ा जिससे इस क्षेत्र के भागीदारों की वित्तीय और लिक्विडिटी की स्थिति प्रभावित हुई। चूंकि अब लॉकडाउन को भी हटा लिया गया है, इसलिए विद्युत की मांग में वृद्धि होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा, सरकार द्वारा घोषित लिक्विडिटी आवक से भी तत्काल नकदी की समस्या दूर हो गई है।

औद्योगिक संरचना और विकास

उद्योग पर एक नजर

भारत दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 370 गीगावाट से अधिक की कुल संस्थापित विद्युत क्षमता के साथ दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत का विद्युत क्षेत्र एक ओर तो परंपरागत स्रोतों जैसे कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, जल विद्युत और परमाणु बिजली के साथ और वही दूसरी ओर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर विद्युत, पवन विद्युत और कृषि तथा घरेलू कचरे के साथ अत्यधिक विविधीकृत है। देश के उत्पादन मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा निरंतर बढ़ रहा है। भारत वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर काम कर रहा है जिसमें केवल सौर विद्युत से ही 100 गीगावाट ऊर्जा, शामिल है। भारत सरकार द्वारा 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' का लक्ष्य हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने से देश में क्षमता वृद्धि में तेजी आई है। इसके अलावा, सरकार उजाला, एसएलएनपी, राष्ट्रीय ई–मोबिलिटी कार्यक्रम और सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग कार्यक्रम इत्यादि जैसे नवोन्मेषी कार्यक्रमों के जरिए ऊर्जा क्षमता के उपाय कर रही है, जिसमें बिजली के बिलों में कमी और पर्यावरणीय सुस्थिरता में वृद्धि करने का दोहरा प्रयोजन पूरा होगा।

सरकार ने विगत कुछ वर्षों में कई नीतिपरक और उपभोक्ता केंद्रित पहलें शुरू की हैं, जिनमें डिस्कॉमों के ऋण भार को ठीक करने के लिए लक्षित प्रयास शामिल हैं। देश में करीब 750 मिलियन लोगों ने वर्ष 2000 से 2019 के बीच बिजली प्राप्त करने का लाभ उठाया है, जो मजबूत और प्रभावी नीति कार्यान्वयन को दर्शाता है। इसके अलावा, कम कार्बन की अर्थव्यवस्था बनने और पारंपरिक विद्युत संयंत्रों की प्रचालनात्मक लागत को कम करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

उद्योग संरचना

उत्पादन

विगत कुछ वर्षों में उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गति बढ़ने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि आर्थिक मांग से अधिक विद्युत आपूर्ति की क्षमता है। पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन परिदृश्य में वृद्धि के लिए कई नीतिपरक पहलें देखी गई हैं जिनमें तापीय विद्युत संयंत्रों की कार्यप्रणाली और निष्पादन में सुधार के उपाय करना, कोयला ब्लॉक के आबंटन को सरल बनाना, कोयले की उपलब्धता और आपूर्ति में सुधार लाना, खान पर और संयंत्र पर कोयले की गुणवत्ता जांचना, कोल वाशरीज पर कोयले को उपयोगी बनाना, कोल लिंकेज को पुनः परिभाषित करना और कोयले की खानों की स्वैपिंग आदि शामिल है।

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, देश में विद्युत उत्पादन की संस्तापित क्षमता 370 गीगावाट है, जिसमें 93,477 मेगावाट (25 प्रतिशत) केंद्रीय क्षेत्र में, 1,03,322 मेगावाट (28 प्रतिशत) राज्य क्षेत्रों में और 173,308 मेगावाट (47 प्रतिशत) निजी क्षेत्र में है। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार उत्पादन क्षमता के प्रकार के संदर्भ में, संस्थापित तापीय क्षमता 2,30,600 मेगावाट (62 प्रतिशत), संस्थापित हाइड्रो क्षमता (नवीकरणीय) 45,699 मेगावाट (12 प्रतिशत), नवीकरणीय ऊर्जा में संस्थापित क्षमता (आरईएस–एमएनआरई) 87,028 मेगावाट (24 प्रतिशत) थी (जिसमें सौर, पवन, लघु हाइड्रो परियोजना, बायोमास गैसीफायर, बायोमास विद्युत और शहरी व औद्योगिक कचरा विद्युत शामिल है) तथा परमाणु क्षमता 6,780 मेगावाट (2 प्रतिशत) थी। विगत वर्ष में 1,249.34 बिलियन यूनिट की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विद्युत ऊर्जा उत्पादन 1,252.61 बिलियन यूनिट (बीयू) था।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र विश्व में चौथा सबसे आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है। सरकार की बढ़ती सहायता से और अर्थव्यवस्था में सुधार से यह क्षेत्र निवेशकों की दृष्टि में आकर्षक हो गया है। हाल ही में, सरकार ने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लक्ष्य से एक नई जल विद्युत नीति अनुमोदित की है, जिसमें बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। पहले केवल 25 मेगावाट क्षमता से कम की छोटी परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में आती थीं। इस भेद को कम करके बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं गैर–सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व नीति के तहत एक अलग श्रेणी के रूप में शामिल की जाएंगी, जिससे विद्युत खरीददारों के लिए बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत का हिस्सा लेना अनिवार्य किया गया है।

भारत सरकार ने लघु से मध्यम रूप के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2022 तक देश में 175 गीगावाट संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सौर से 100 गीगावाट, पवन से 60 गीगावाट, बायोमास से 10 गीगावाट और लघु जल विद्युत से 5 गीगावाट शामिल है। इसके अतिरिक्त, एमएनआरई वर्ष 2022 तक 1 गीगावाट की भूतापीय क्षमता का लक्ष्य तय कर रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना, 2018 में आगे वर्ष 2027 तक 275 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने की महत्वाकांक्षा रखी गई है जिससे नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़कर संस्थापित क्षमता का 44 प्रतिशत और विद्युत उत्पादन का हिस्सा 24 प्रतिशत हो जाएगा।

हाल के वर्षों में सौर पीवी में तेजी से वृद्धि हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा में एक किफायती तरीके से निवेश बढ़ाने के लिए भारत ने पवन और सौर पीवी के लिए राष्ट्रीय स्पर्धात्मक नीलामी शुरू की है। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नीलामी के डिजाइनों, ग्रिड कनेक्शनों और डिस्कॉमों की वित्तीय हालत पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा न केवल बिजली उत्पादन में प्रयोग हो रही है, बल्कि इसमें हीटिंग, कूलिंग और परिवहन संबंधी समाधानों के लिए भी संभावना है। सरकार पर्यावरण और हवा व पानी की गुणवत्ता पर दीर्घकालिक प्रभाव के लिए इस संभाव्यता का उपयोग करने के लिए एक समावेशी कार्यनीति पर कार्य कर रही है। यह संभाव्यता बायो ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने में भी मौजूद है, जिसमें अपशिष्ट से ऊर्जा शामिल है, जिसके लिए मजबूत सुस्थिर शासन जरूरी है।

पारेषण और वितरण

पारेषण:

देश में विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक संस्थानों का असमान वितरण है और यह केवल कुछ ही पॉकेटों में केंद्रित है। अतः पारेषण, विद्युत प्रदान करने की महत्वपूर्ण श्रृंखला में महत्वपूर्ण तत्व है जो उत्पादन केंद्रों से विद्युत की निकासी और भार केंद्रों तक इसे पहुँचाने की सुविधा प्रदान करता है। विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों के कुशल वितरण के लिए पारेषण प्रणाली नेटवर्क को मजबूत करना, अंतर–राज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली को बढ़ाना और राष्ट्रीय ग्रिड में वृद्धि करना आवश्यक है। हाल के वर्षों में विभिन्न उत्पादन केंद्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की निकासी के लिए और उसे उपभोक्ताओं तक वितरित करने के लिए पारेषण लाइनों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया गया है।

विगत वित्तीय वर्ष के दौरान करीब 22,437 सीकेएम की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 11,664 सीकेएम (सर्किट किलोमीटर) पारेषण लाइनें जोड़ी गई थीं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 765 केवी, 400 केवी और 220 केवी स्तरों पर एक साथ 68,230 एमवीए (मेगावोल्ट एम्पीयर) परिवर्तित क्षमता जोड़ी गई। देश के विद्युत पारेषण क्षेत्र में लाइनों की लंबाई और परिवर्तन क्षमता में क्रमशः 6.5 प्रतिशत और 9.6 प्रतिशत के औसत वार्षिक विकास दर पर वृद्धि के साथ विगत पांच वर्षों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। सामान्य अतिरिक्त हाई वोल्टेज लाइनों में ±800 केवी एचवीडीसी और 765 केवी, 400 केवी, 230/220 केवी, 110 केवी और 66 केवी एसी लाइनें हैं। इसके अलावा, पारेषण यूटिलिटियों के प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन, दोनों में ही सुधार देखा गया है। साथ ही अनुमानित 2.6 ट्रिलियन रुपये के निवेश की पारेषण क्षेत्र में अपेक्षा है ताकि भावी व्यस्ततम भार की पूर्ति हो सके, जो 2021–22 तक 234 गीगावाट तक हो जाने की संभावना है।

सरकार ने देश में विद्युत में पारेषण क्षेत्र के सुधार के लिए कई नीतिपरक उपाय किए हैं। एक ऐसी ही पहल ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर की है, जिसका लक्ष्य देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त करने के लिए ग्रिड एकीकरण सुविधा प्रदान करना है। ग्रिड अवसंरचना के विस्तार के लिए कई ग्रिड विस्तार कार्यक्रम और क्रॉस–बॉर्डर लिंक तैयार किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र से देश के ग्रिड विस्तार लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक बोली ने अंतर–राज्यीय और अंतरा–राज्यीय स्तरों, दोनों पर गति पकड़ ली है। आरईसी ने कुछेक ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर पारेषण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भी स्वीकृत की है और कुछ अन्य परियोजनाएं मूल्यांकन/अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं।

केंद्रीय और राज्य, दोनों स्तरों पर पारेषण यूटिलिटी का नई प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण निवेश होने की संभावना है ताकि ग्रिडों को अधिक विश्वसनीय, मजबूत, सुरक्षित और स्मार्ट बनाया जा सके। इसके अलावा, 'एक राष्ट्र एक ग्रिड' विद्युत की कीमतों में समानता लाने और विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा का घाटा कम करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। पारेषण क्षेत्र में भी प्रमुख नीतिपरक सुधारों जैसे विद्युत अधिनियम में और टैरिफ नीति में संशोधनों से काफी लाभ मिलने की संभावना है। यह क्षेत्र एक ऐसे आधार के रूप में कार्य करता है, जो विद्युत उत्पादन और वितरण संघटकों के विकास को मजबूती से संभाले हुए है। उल्लेखनीय है कि विद्युत क्षेत्र का विकास एक मजबूत और विश्वसनीय पारेषण नेटवर्क के विकास से जुड़ा है।

वितरण:

समग्र विद्युत मूल्य श्रृंखला में वितरण सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है क्योंकि यह यूटिलिटी और उपभोक्ताओं के बीच इंटरफेस का काम करता है। विद्युत क्षेत्र का नकद रजिस्टर होने के बावजूद, वितरण देश की विद्युत मूल्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी है। ऐतिहासिक रूप से, विद्युत वितरण राज्य सरकारों के अधिकार में रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र के पास केवल इसका सीमित भाग ही होता है। कई वर्षों से डिस्कॉम भारी संचित हानियों का सामना कर रहे हैं और उच्च ब्याज दरों पर ऋण बकाया है, इस प्रकार ऋण से प्रचालनात्मक हानियों का एक दुश्चक्र बन जाता है। डिस्कॉमों की बहुत ही खराब हालत विद्युत निकासी की क्षमता में सुधार लाने के लिए एक प्रमुख बाधा है। इस क्षेत्र का निराशाजनक निष्पादन नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है ताकि राज्य डिस्कॉमों और यूटिलिटियों को व्यवहार्य बनाने के लिए विभिन्न उपाय करें।

वर्ष 2015 में भारत सरकार ने डिस्कॉम के प्रचालनात्मक और वित्तीय सुधार के लिए एक योजना उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरूआत की है। इस योजना के तहत, संबंधित राज्य सरकार को डिस्कॉम/यूटिलिटियों के ऋणों को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए ताकि डिस्कॉम/यूटिलिटी अपने भावी कैपेक्स कार्यक्रमों को शुरू कर सकें। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी घरेलू विद्युतीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में 16,320 करोड़ रुपये की प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की शुरूआत की है। भारत सरकार ने "गैर–तकनीकी हानियों" को कम करने के लिए और बिजली की चोरी को रोकने के लिए, मीटर टेम्परिंग और ग्राहकों द्वारा भुगतान न करने को रोकने के लिए स्मार्ट प्री–पेड मीटरिंग भी शुरू की है। सहायता के लिए सशक्त सुधारों के साथ, डिस्कॉमों ने सकारात्मक परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। आरईसी ने विद्युत मंत्रालय के सहयोग से डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और एनईएफ जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी करके विद्युत वितरण क्षेत्र के सुधार के लिए योगदान दिया है।

क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए सुधारों के अलावा, वितरण क्षेत्र में देश के दूर–दराज के कोने में बिजली की पहुँच और आपूर्ति में अप्रत्याशित वृद्धि देखने में आई है। देश में सभी आबादी वाले गांवों का सफल विद्युतीकरण करने के साथ ही, घरेलू विद्युतीकरण के लिए महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजना से वितरण क्षेत्र वास्तव में काफी आगे निकल गया है।

विद्युत क्षेत्र का नीतिगत परिवेश

भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र के पुनर्गठन, क्षमता में वृद्धि और पारेषण, उप–पारेषण और वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए विगत वर्षों में महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय किए हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 से क्षेत्र से संबंधित कानूनी फ्रेमवर्क में पूर्ण बदलाव आए हैं जिससे राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय टैरिफ नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीति, राष्ट्रीय जल विद्युत नीति और मेगा विद्युत नीति की अधिसूचना जारी की गई, जिसमें क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और कुशलता लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों को दर्शाया गया है।

देश में कोयला, तेल, गैस और विद्युत के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ऊर्जा संबंधी कीमत सुधार लाने की प्रक्रिया चल रही है, जो कि ऊर्जा बाजार में आगे मार्ग खोलने और वित्तीय हालत में सुधार लाने के लिए मूलभूत सुधार हैं। भारत की हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग नीति

(एचईएलपी) में सबसे महत्वपूर्ण अपस्ट्रीम सुधारों के जरिए और एक रणनीतिक पैट्रोलियम रिजर्व के रूप में समर्पित तेल आकस्मिकता स्टॉक तैयार करके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर देश में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

ऊर्जा अनुसंधान, विकास और स्थापना (आरडीएंडडी) भारत की ऊर्जा नीति के लक्ष्यों में एक सशक्त सहायक हो सकती है, जबकि यह "मेक इन इंडिया" जैसी व्यापक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भी योगदान दे रही है। आरडीएंडडी के माध्यम से भारत सरकार, भारत में सौर पीवी, लीथियम बैट्रियों, सौर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कार्य कर रही है। अपने जलवायु नीति एजेंडा के भाग के रूप में, सरकार ने सौर विद्युत और हाइड्रो पावर सहित विभिन्न नीतिपरक क्षेत्रों में एक मिशन आधारित संकल्पना पर कार्य किया है। सरकार कूलिंग सॉल्यूशंस, ई–मोबिलिटी, स्मार्ट ग्रिड और उन्नत बायोफ्यूल सहित ऊर्जा प्रौद्योगिकी के व्यापक क्षेत्रों में अपने नवोन्मेषी प्रयासों को सुदृढ़ कर रही है।

आने वाले वर्षों के लिए भी सरकार ने विद्युत की एक प्रमुख बल दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में पहचान की है ताकि सुस्थिर औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। विद्युत क्षेत्र के भावी आउटलुक को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की जा रही हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए शीघ्रता से ग्रिड विकेंद्रीकरण करने, विद्युत बाजार का सुदृढ़ीकरण करने और विद्युत पर सशक्त कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए मार्ग तैयार करने हेतु प्रारूप विद्युत संशोधन बिल शामिल हैं। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने निजी क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन और नीलामी व आबंटन के जरिए कोयला खानों का आबंटन करने की पद्धति अनुमोदित की है जिससे पारदर्शिता प्राथमिकता, कारोबार करने में आसानी और राष्ट्रीय विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा, रिहायशी और वाणिज्यिक सौर पीवी अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 100 गीगावाट के समग्र सौर लक्ष्य के भीतर वर्ष 2022 तक 40 गीगावाट का रूफटॉप सौर विद्युत का लक्ष्य स्थापित किया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अगस्त, 2006 में अधिसूचित की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की सुलभता और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाना है ताकि कृषि, ग्रामीण उद्योगों आदि में उत्पादनकारी उपयोगों के रूप में विद्युत में सुधार लाकर तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय सौर मिशन

राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल के रूप में जनवरी, 2010 में शुरू किया गया था, जिसमें देश की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों का सामना करते समय सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/आरएंडडी संस्थानों और उद्योगों को शामिल किया गया है। यह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को पूरा करने के लिए भारत का वैश्विक प्रयासों में एक प्रमुख योगदान है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के भाग के रूप में कई पहलों में से एक पहल है।

एनएसएम का उद्देश्य देश भर में बड़े पैमाने पर इसका प्रसार करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और कुशल व अकुशल व्यक्तियों, दोनों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए नीतिगत शर्तें बनाकर भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक अगुवाई करने के लिए स्थापित करना है। मिशन ने वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड सौर क्षमता की स्थापना के लिए अन्यों के बीच एक लक्ष्य स्थापित किया था, जिसे तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। भारत ने एनएसएम में निर्धारित किए गए लक्ष्य को चार वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है।

राष्ट्रीय पवन–सौर हाइब्रिड नीति

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने दिनांक 14 मई, 2018 को राष्ट्रीय पवन–सौर हाइब्रिड नीति जारी की है। नीति का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों का अनुकूल और कुशल उपयोग करने, पारेषण अवसंरचना और भूमि के लिए बड़ी ग्रिड कनेक्टेड पवन सौर पीवी हाइब्रिड प्रणाली के संवर्धन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना है। एक पवन सौर संयंत्र की एक हाइब्रिड संयंत्र के रूप में पहचान की गई है, यदि एक संसाधन की रेटेड विद्युत क्षमता दूसरे संसाधन की रेटेड विद्युत क्षमता के न्यूनतम 25 प्रतिशत पर है। पवन–सौर पीवी हाइब्रिड प्रणालियां नवीकरणीय विद्युत उत्पादन में अस्थिरता को कम करने और बेहतर ग्रिड स्थायित्व प्राप्त करने के लिए मदद करेंगी। नीति का उद्देश्य पवन व सौर पीवी संयंत्रों के मिले–जुले उत्पादन में नई प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

आरईसी दिसंबर, 2014 में शुरू किए गए भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का कार्यान्वयन करने, समग्र ग्रामीण विकास की अनुपूर्ति करने और देश में 24X7 विद्युत की सुविधा प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है। योजना में समाहित नवीकरणीय ऊर्जा संघटकों सहित 75,893 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलू शामिल हैं।

डीडीयूजीजेवाई योजना के तहत, परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है और 15 प्रतिशत तक का अतिरिक्त अनुदान (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। सभी पूर्ववर्ती नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएं (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अर्थात आरजीजीवीवाई सहित) डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दी गई हैं। योजना के प्रमुख परिभाषित परियोजना घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) कृषि और गैर–कृषि फीडरों को अलग करना;
(ii) उप–पारेषण और वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन;
(iii) माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क;
(iv) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; और
(v) ग्रामीण विद्युतीकरण घटक;

दिनांक 15 अगस्त 2015 को माननीय प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि देश में शेष सभी 18,452 गैर–विद्युतीकृत (यूई) गांवों को राज्यों की मदद से 1,000 दिनों में विद्युतीकृत किया जाएगा। यह कार्य मिशन मोड में शुरू किया गया था और 28 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार देश में शेष जनगणना वाले गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2020 तक की प्रमुख गतिविधियों में 8.02 लाख सीकेएम एचटी लाइनों (फीडर पृथक्करण सहित) का निर्माण, 6,574 नए उपकेंद्रों (4,037 उपकेंद्रों के संवर्धन सहित) को पूरा करना, 15.74 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों को लगाना, 12.60 लाख सीकेएम एलटी लाइनों को तैयार करना और 140 लाख उपभोक्ताओं और 1.85 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों एवं फीडरों के लिए ऊर्जा मीटर लगाना शामिल है।

सौभाग्य – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

आरईसी भारत सरकार की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, अर्थात सौभाग्य योजना के प्रचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी विनिर्दिष्ट है। ग्रामीण विद्युतीकरण की सफलता के साथ, आगे घरेलू विद्युतीकरण पर बल दिया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 2017 में 16,320 करोड़ रुपये की कुल लागत से (12,320 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता सहित) सौभाग्य योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करके और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी एसईसीसी परिवारों तथा शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करके देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है।

सौभाग्य योजना के तहत निजी क्षेत्र के डिस्कॉमों सहित सभी डिस्कॉम, राज्य विद्युत विभाग और ग्रामीण विद्युत सहकारी सोसायटियां, वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी, जिसमें भारत सरकार से 60 प्रतिशत अनुदान (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85 प्रतिशत), वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण, जिसमें 30 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 प्रतिशत) शामिल हैं तथा यूटिलिटी अंशदान 10 प्रतिशत/5 प्रतिशत शामिल है। इसके अलावा, ऋण घटक का 50 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान के रूप में होगा, बशर्ते कि अधिकतम अनुदान 75 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90 प्रतिशत) हो।

राज्यों और डिस्कॉमों के समन्वित प्रयासों से सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 11 अक्तूबर, 2017 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान 2.63 करोड़ घरों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए थे। इसके अलावा, 7 राज्यों (असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के अनुरोध पर विद्युत मंत्रालय ने ऐसे अतिरिक्त 19.09 लाख गैर–विद्युतीकृत घरों को बिजली प्रदान करने के लिए सकल विस्तार का अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जो पहले बिजली लेने के इच्छुक नहीं थे और अब मार्च, 2019 से पहले अपनी इच्छा प्रकट की थी। इनमें से राज्यों/डिस्कॉमों को वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 13.92 लाख घरों को कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना

आईसी संबंधित राज्य सरकारों/यूटिलिटियों से संपर्क करने में भारत सरकार की सहायता कर रही है ताकि भारत सरकार की "उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना" अर्थात उदय योजना, जो नवंबर, 2015 में शुरू की गई थी, के तहत परिकल्पित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। उदय योजना वित्तीय बदलाव के लिए और डिस्कॉम के पुनरुद्धार के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अपनी दीर्घावधिक समस्याओं अर्थात भारी ऋण और प्रचालनात्मक हानियों के लिए एक स्थायी हल निकाला जा सके। उदय डिस्कॉमों को निम्नलिखित पहलों के जरिए उनके संबंधित समझौता ज्ञापन की अवधि के अंत में हानि रहित व्यापार करने की शक्तियां प्रदान करती हैः

क. डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक क्षमताओं में सुधार लाना;

ख. विद्युत की लागत में कमी;

ग. डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कमी; और

घ. राज्य वित्तपोषण के अनुरूप डिस्कॉमों पर वित्तीय अनुशासन लागू करना;

कार्यक्रम में विभिन्न राज्य सरकारों और डिस्कॉमों से 16 राज्यों के साथ व्यापक सुधार के लिए उदय योजना से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण देखा गया है और शेष राज्य तथा संघ–राज्य क्षेत्र प्रचालनात्मक बदलाव से जुड़ रहे हैं। उदय से राज्य सरकारों द्वारा लिए जा रहे 2.09 लाख करोड़ रुपये की डिस्कॉम देनदारियों के साथ उत्साहवर्धक परिणाम देखे गए हैं और 0.24 लाख की राशि को बांडों को जारी करके पुनर्गठित/पुनः मूल्य निर्धारित किया गया है। उदय ने डिस्कॉमों के तुलन पत्रों की सफाई में मदद की है और उन्हें अपने पूंजीगत व्यय चक्र को पुनः शुरू करने में समर्थ बनाया है, जबकि सभी विद्युत क्षेत्र के हितधारकों (डिस्कॉम, ट्रांस्को, जेनको, आईपीपी, बैंकों और वित्तीय संस्थानों इत्यादि) को व्यवहार्य प्रचालनों के योग्य बनाया गया है।

राष्ट्रीय विद्युत निधि

आरईसी देश में वितरण हानियों को कम करने के लिए वितरण अवसंरचना में पूंजीगत निदेश को बढ़ावा देने के लिए 8,466 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2012–13 में शुरू की गई एक ब्याज सब्सिडी योजना राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के प्रचालन के लिए नोडल एजेंसी है। इस योजना के तहत डिस्कॉमों को वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं के वितरण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किए गए ऋणों पर 14 वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत यूटिलिटी/डिस्कॉम दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, दोनों में, सुधारों से जुड़े मापदंडों में प्रगति की उपलब्धि के आधार पर ब्याज दरों पर सब्सिडी के लिए पात्र हैं। एनईएफ के तहत विभिन्न यूटिलिटी/डिस्कॉमों को 31 मार्च, 2020 तक एनईएफ के तहत 249.70 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।

जम्मू व कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज

आरईसी दिनांक 27 नवंबर, 2015 को घोषित "जम्मू व कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज" (पीएमडीपी–2015) योजना के तहत धनराशि प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है। योजना अब जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख संघ–राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए वितरण सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 2,570.14 करोड़ रुपये (भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान) की परियोजना है। इसमें से, 1,151.99 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदान किए गए हैं। योजना के तहत शामिल कार्यों में प्रणाली सुदृढ़ीकरण, बिना कनेक्शन वाले घरों को कनेक्ट करना, कांटेदार तारों को बदलना, और टूटे हुए खंभों को बदलना, पर्यटन केंद्रों पर भूमिगत केबल डालना, उपभोक्ता मीटर, औद्योगिक क्षेत्रों में 33/11 केवी केउपकेंद्रों का निर्माण करना तथा मंदिरों में वैद्युत अवसंरचना शामिल है। इस योजना के तहत अब तक 570.94 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

एकीकृत विद्युत विकास योजना

भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में शहरी क्षेत्रों में उप–वितरण और वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए 65,424 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ "एकीकृत विद्युत विकास योजना" (आईपीडीएस) अनुमोदित की है, जिसमें शामिल हैं: (i) उप–पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, (ii) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडर, वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, और (iii) आर–एपीडीआरपी (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम) के तहत 12वीं और 13वीं योजनाओं के लिए विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आईटी समर्थ वितरण क्षेत्र और वितरण केंद्र का सुदृढ़ीकरण करना जिसमें आर–एपीडीआरपी से आईपीडीएस कार्यक्रम के लिए एक पृथक घटक के रूप में अनुमोदित परिव्यय को आगे ले जाया गया है। इस प्रयोजन के लिए, पूर्ववर्ती योजना आर–एपीडीआरपी और उसके लक्ष्यों को आईपीडीएस में समाहित कर दिया गया है। योजना की वित्तपोषण पद्धति डीडीयूजीजेवाई योजना के समान है।

सभी के लिए किफायती एलईडी से उन्नत ज्योति

सभी के लिए किफायती एलईडी (उजाला) ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्बों के वितरण के लिए दिनांक 5 जनवरी, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक योजना है। देश में ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 77 करोड़ इंकेनडेसेंट लैम्प (आईसीएल) के स्थान पर लाइट इमिटिंग डायोड (एलईडी) लगाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना के तहत आरईसी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) और अन्य विद्युत क्षेत्र के पीएसयू कम लागत पर घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करते हैं। एलईडी की आईसीएल और कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प (सीएफएल) की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लाइफ और अधिक ऊर्जा क्षमता होती है, इस प्रकार से ऊर्जा और लागत, दोनों संदर्भ में मध्यम बचत होती है। 36 करोड़ से अधिक एलईडी अब तक इस योजना के तहत वितरित किए जा चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में अत्यधिक कमी आने के साथ–साथ 18,900 करोड़ रुपये से अधिक लागत की बचत हुई है। उजाला योजना के कारण बाजार में बदलाव आया है और वर्तमान में एलईडी बल्बों की बिक्री आईसीएल और सीएफएल बल्बों की तुलना में अधिक है। निर्माताओं के साथ ईईएसएल ने 77 करोड़ बल्बों के प्रारंभिक लक्ष्य को पार करते हुए देश में 150 करोड़ से अधिक एलईडी बल्बों का वितरण किया है।

पारदर्शिता और ऑनलाइन ऐप

हाल के वर्षों में पारदर्शिता सभी प्रमुख विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए एक प्रमुख बल दिया जाने वाला कार्य हो गया है। विद्युत मंत्रालय ने वास्तविक समय कार्यप्रणाली और विभिन्न सुधार पहलों के तहत निष्पादन ट्रेक करने के लिए हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप और वेबसाइट शुरू की हैं। इनमें गैर–विद्युतीकृत गांवों और घरों में बिजली के कार्य के संबंध में अपडेट के लिए *गर्व ऐप, उदय* डैशबोर्ड, *उजाला* डैशबोर्ड, बिजली की कीमत और उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय की सूचना के लिए *विद्युत प्रवाह*, शहरों में डिस्कॉम के कार्य निष्पादन को दर्शाने के लिए उपभोक्ता से जोड़ने और आईपीडीएस के डाटा के लिए ऊर्जा ऐप, भारत में पारेषण प्रणाली की प्रगति को मॉनीटर करने के लिए *तरंग ऐप*, उत्पादकों और डिस्कॉमों के बीच विद्युत खरीद सौदों में पारदर्शिता लाने के लिए *प्राप्ति ऐप*, नागरिकों को वास्तविक समय पर और डिस्कॉम के ऐतिहासिक आउटेज की सूचना प्रदान करने के लिए *ऊर्जा मित्र* ऐप, और ताप विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पन्न राख की बेहतर व्यवस्था सक्षम बनाने के लिए ऐश ट्रेक शामिल हैं।

उपरोक्त नीतियों और पहलों के अलावा, भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य में सुधार लाने के लिए अनेक अन्य उपाय किए हैं, जैसे राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता वृद्धि मिशन (एनएमईईई), निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी) योजना, ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता (ईसीबीसी), राष्ट्रीय ई–मोबिलिटी कार्यक्रम, चिल्लर स्टार लेबलिंग कार्यक्रम इत्यादि। इन पहलों के साथ–साथ भारत सरकार के पारदर्शिता को बढ़ाने के प्रयासों से भविष्य के निवेश को आकर्षित करके इस पर विद्युत क्षेत्र के लिए नए सिरे से चर्चा होगी।

अवसर और मजबूती

आरईसी ने वर्ष 1969 में अपनी यात्रा शुरू करके अपने प्रारंभिक वर्षों में पंप सेट सिंचाई प्रणाली को प्रेरित करते हुए देश में हरित क्रांति लाने में सफल योगदान दिया। चूंकि उस समय, आरईसी को देश में प्रमुख वित्तपोषक बनना था और देश में विद्युत क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए बहुत कुछ करना था। आरईसी केंद्रीय और राज्य सरकारों, विद्युत यूटिलिटी तथा निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य करती है।

इसके अलावा, कंपनी एक नोडल एजेंसी परियोजना प्रबंधन/कार्यान्वयन एजेंसी है, जो भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए कार्य करती है, जैसे डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और एनईएफ। कंपनी का कारोबारी क्षेत्र में निरंतर विकास का रिकार्ड है और यह विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए योगदान देकर सामाजिक फ्रंट पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) भारत सरकार ने जल विद्युत से 60 गीगावाट, अन्य नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर, पवन, बायोमास और लघु जल विद्युत से 175 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। इसके अलावा, मंत्रालय सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए एक योजना भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसके लिए वर्ष 2021–22 तक 40,000 मेगावाट सौर विद्युत परियोजनाओं का लक्ष्य रखकर कम से कम 50 सौर पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे भारत में विद्युत क्षेत्र के लिए प्रमुख बल मिलेगा क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के लिए आगे बढ़ाने के लिए बाजार के भागीदारों को प्रोत्साहित किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में राज्य सरकार के नोडल विभागों/राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण और अर्ध शहरी परिवारों के लिए विशेषतः कुकिंग, लाइटिंग और जैविक खाद के लिए स्वच्छ गैस ईंधन प्रदान करने के लिए नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं जैविक खाद कार्यक्रम (एनएनबीओएमपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एमएनआरई ने वर्ष के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में राज्य ग्रामीण विकास विभागों को एनएनबीओएमपी के कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य आबंटित किए हैं।

सोसायटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलैक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) के अनुसार, देश में ई–वाहनों की बिक्री वित्तीय वर्ष 2019–20 में 20 प्रतिशत तक बढ़ी है (1,56,000 यूनिट)। वर्ष की दूसरी छमाही में प्रीमियम सेगमेंट में इलैक्ट्रिक कारों की स्वीकार्यता एक बहुत बड़े बदलाव का सकारात्मक संकेत था। ई–वाहन उद्योग अपना स्थान बना रहा है और वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा उसके बाद सभी ई–वाहन सेगमेंट के लिए प्रमुख स्थान देखने को मिलेगा। कोविड–19 की चुनौतियों के बावजूद, वाहन खरीदने के लिए जाने वाले उपभोक्ता ई–मोबिलिटी का उपयोग बढ़ाकर आसानी से सांस लेने और स्वस्थ रहने के साथ–साथ आसमान देखने और साफ हवा लेने के बारे में सोच सकते हैं।

आशंकाएं, जोखिम और चिंताएं

भारत में कोविड–19 महामारी के निरंतर प्रभाव के चलते आर्थिक विकास में मंदी होने से कंपनी के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आरईसी का कार्यनिष्पादन और इसके कारोबार में वृद्धि समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण और उसके बाद विभिन्न राज्यों में स्थानीय लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था में हुए नुकसान के परिणामस्वरूप मांग में कमी आई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड–19 के अप्रत्याशित और व्यापक संक्रमण से प्रभावित हुई है, जिससे अब समस्त भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रों में नई चुनौतियां सामने आई हैं। विद्युत क्षेत्र के समक्ष नई समस्याएं आई हैं, जैसे परियोजना के निष्पादन की समय–सीमा में बाधा, प्रवासी मजदूरों का चले जाना, वित्त व्यवस्था और लिक्विडिटी की समस्या का दबाव।

नई सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होने की संभावना है, जिससे विकासकर्ता नियत समय पर कार्य पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा, भारतीय मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण अल्प अवधि के मॉड्यूलों की कीमतें भी बढ़ने की संभावना है। पवन विद्युत के क्षेत्र में भारत में पवन टरबाइनों का निर्माण किया जाता है और इसलिए लॉकडाउन तक निष्पादन अधिक प्रभावित नहीं हुआ था। तथापि, टरबाउन निर्माताओं ने राष्ट्रव्यापी और स्थानीय लॉकडाउन के चलते उत्पादन को अस्थायी रूप से रोक दिया था। वर्तमान लॉकडाउन से आपूर्ति और श्रम संबंधी बाधा के चलते वित्तीय वर्ष 2020–21 में परियोजना के निष्पादन में विलंब हो सकता है।

विशेषकर पारेषण और वितरण घटकों में, प्रवेश में अवरोध अधिक हैं। विद्युत उत्पादन के कारोबार में शुरू में भारी निवेश अपेक्षित होता है। अन्य अवरोधों में फ्यूल लिंकेज, विद्युत खरीदने वाली राज्य सरकारों से भुगतान की गारंटी और रिटेल वितरण लाइसेंस हैं। यद्यपि नए भागीदारों के लिए पर्याप्त संभावना है, लेकिन इनपुट की कमी और अन्य विनियामक बाधाएं नए भागीदारों को रोकती हैं। सौर विद्युत की ट्रेडिंग एक ऐसा घटक है जिसे अभी भारी टैरिफ के चलते नहीं लिया गया है। तथापि, भविष्य में सशक्त भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य से यह एक अवसर हो सकता है। क्षेत्र में सक्षम सुधार के उपायों, जैसे आईटी सक्षम, पर्यावरण अनुकूल नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का संवर्धन और ऊर्जा दक्षता समाधान से निकट भविष्य में विभिन्न हितधारकों को व्यापक कारोबारी अवसर प्रदान होंगे।

निजी क्षेत्र के प्रोमोटरों की इक्विटी समस्या एक अन्य बड़ा कारक है, जिसके कारण परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब होता है और लागत व समय अधिक लगता है। ऋण लेने वालों की अपने ऋण दायित्वों को पूरा कर पाने में विफलता से कंपनी के लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां होती हैं और कम लागत पर धनराशि जुटाने की क्षमता प्रभावित होती है। भारतीय पूंजी बाजार अच्छी गति से परिपक्व हो रहा है और विकास कर रहा है और यह विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण में आ सकता है। यदि ऋण लेने वाले सीधे बाजार सुलभ करना शुरू कर देते हैं तो इससे आरईसी का कारोबार प्रभावित हो सकता है।

विद्युत क्षेत्र में गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां अभी भी हैं। आरबीआई ने गैर–निष्पादित संपत्तियों के समाधान के लिए दिनांक 7 जून, 2019 के परिपत्र के तहत एक व्यापक फ्रेमवर्क जारी किया है। आरईसी ने इस परिपत्र को अपनाया है और गैर–निष्पादित संपत्तियों के सभी समाधान/पुनर्गठन नए ढांचे के अनुसार किए जा रहे हैं। माननीय एनसीएलटी द्वारा आईबीसी फ्रेमवर्क के तहत उल्लेख की गई गैर–निष्पादित संपत्तियों पर सांविधिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

कंपनी वर्तमान प्रदर्शन मानकों, डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति, सीमित ईंधन उपलब्धता, राज्य डिस्कॉमों की खराब वित्तीय हालत, उच्च एटीएंडसी हानियां, बाजार में नए भागीदारों का प्रवेश, बैंकों और बहुपक्षीय एजेंसियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अनिश्चित कारोबारी वातावरण, रुपये में उतार–चढ़ाव, अस्थिर बाजारी स्थितियों के कारण पूंजी की लागत में वृद्धि की संभावना, कम विद्युत मांग, और अगले 5 वर्षों में पारंपरिक उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा, देश में कारोबारी और नीतिगत वातावरण में ब्याज दर व्यवस्था, कच्ची सामग्रियों की लागत और उपलब्धता तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए पूर्णता की अवधि और अपेक्षित पूंजीगत परिव्यय पर भी गिरावट का प्रभाव है। सामान्य आर्थिक स्थितियों में भी विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता से सीधा संबंध है जिससे उधार लेने वालों की ऋणों के लिए क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, कोविड–19 के कारण बाधाओं से कंपनी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ सकता है।

क्षेत्रक–वार अथवा उत्पाद–वार कार्यनिष्पादन

आरईसी एक अग्रणी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो समूचे विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है। आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य यूटिलिटियों और निजी क्षेत्र के उधार लेने वालों को ब्याज सहित ऋण प्रदान करना है। कंपनी का अलग से सूचित करने योग्य घटक नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी ने विद्युत क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के लिए कुल 1,10,907.99 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है। इसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 55,811.89 करोड़ रुपये, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 7,026.33 करोड़ रुपये, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 41,604.77 करोड़ रुपये और दीर्घावधिक, मध्यावधिक और अन्य ऋणों के लिए 6,465.00 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 75,666.95 करोड़ रुपये रुपये के ऋण वितरित किए हैं। इसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए 27,490.87 करोड़ रुपये, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 5,699.09 करोड़ रुपये, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 30,856.19 करोड़ रुपये, अल्पावधि, मध्यावधिक और अन्य ऋणों के लिए 6,390.00 करोड़ रुपये और डीडीजी (विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन) और सौभाग्य योजनाओं सहित डीडीयूजीजेवाई के तहत काउंटर पार्ट वित्तपोषण के लिए 5,230.80 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा 6,473.88 करोड़ रुपये का अनुदान/सब्सिडी प्रदान की गई थी, जिसे डीडीयूजीजेवाई, डीडीयूजीजेवाई–डीडीजी और सौभाग्य योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को वितरित भी कर दिया गया था।

दृष्टिकोण

भारत चुनौतीपूर्ण कारोबारी वातावरण के बावजूद दुनिया में तेजी से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में रहने की संभावना है। मुख्य सुधारों के साथ भारत को वैश्विक विकास के एक पथप्रदर्शक के रूप में देखा गया है। संरचनात्मक सुधारों, जीएसटी, आईबीसी, मुद्रास्फीति के लक्षित उपायों, वित्तीय समावेशन, एफडीआई नीति में बदलावों, काले धन को रोकने के उपायों और सूचना एकीकरण प्लेटफॉर्म के अनुरूप अधिक डिजिटाइजेशन जैसे सभी कारकों से भारत में उत्पादकता गतिशीलता में सुधार और सुस्थिर विकास हासिल करने में मदद मिलेगी।

विद्युत क्षेत्र में व्यय में वृद्धि, तेजी से कार्यान्वयन और सुधारों को जारी रखने से विकास को और भी गति मिलेगी। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अगुवाई करने की भारी क्षमता है, जो पहले ही सरकार के ध्यान में दिए जाने वाले मुख्य क्षेत्रों में शामिल है। यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने की ओर देख रहा है। इसके अलावा, छोटे शहरों का विकास और ऊर्जा बचत शुरू करना तथा बैट्री बैंक जैसे स्टोरिंग उपकरणों को लाना और सहायक सेवाओं से निवेश आकर्षण में नया आयाम आ सकता है।

सीईए के अनुमानों के अनुसार, देश में विद्युत की आवश्कता वित्तीय वर्ष 2021–22 तक 1566 बिलियन यूनिट तक होने की संभावना है। 24X7 गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने पर सरकार द्वारा बल दिए जाने से मांग में आगे वृद्धि होगी और साथ ही अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और उदय जैसे सरकार के परिणामोन्मुखी सुधारों से वितरण अवसंरचना में निवेश को आकर्षित करने और तेजी आने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप हानि में कमी और राजस्व की वसूली तथा लक्ष्यों की स्वतः प्राप्ति में तेजी आएगी। अत्यधिक पूंजी व्यय और विकास से समान रूप से भारी प्रचालनात्मक अवसंरचना सृजित होगी जिससे कंपनी के लिए आश्वस्त कारोबारी दृष्टिकोण आएगा।

कोविड–19 के कारण 'सोशल डिस्टेंसिंग' और 'वर्क फ्रॉम होम' के नए मानक सामने आए हैं जिनके चलते हमारी वर्तमान और भावी सोसायटी के केंद्रीकृत रूप से विद्युत प्रदान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जो अब तक पहले कभी नहीं हुआ था। यह कहा गया कि विद्युत क्षेत्र महामारी के बुरे प्रभावों और गिरती आर्थिक गतिविधियों पर इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। इसके दीर्घावधिक प्रभाव समय के साथ नजर आएंगे। बावजूद इसके, भारतीय विद्युत क्षेत्र पर जल्द ही प्रभाव सामने आ रहे हैं जैसे औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से बिजली की मांग में कमी, रिहायती मांग में वृद्धि, संयंत्र के लोड फैक्टर पर दबाव, डिस्कॉमों द्वारा भुगतान में विलंब और सामान्यतः लिक्विडिटी में कमी आदि।

सरकार इस अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, विशेषकर लिक्विडिटी सहायता देकर। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च से अगस्त, 2020 के दौरान 6 माह की अवधि के लिए ऋण अदायगी पर एक मोरेटोरियम की अनुमति दी थी। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने आरईसी और पीएफसी के माध्यम से उत्पादकों को भुगतान करने के लिए विशेष दीर्घावधिक ट्रांजिशन ऋण प्रदान करके नकदी की समस्या के जूझ रहे डिस्कॉमों में लिक्विडिटी प्रदान करके सहायता प्रदान की है। इन उपायों से क्षेत्रीय आयामों की सुरक्षा होने की संभावना है।

समझौता ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी के कार्य निष्पादन को ***"उत्कृष्ट"*** की रेटिंग की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरईसी को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिसमें 'सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं' की श्रेणी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से *"वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वित्तीय संसूचना में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई अवार्ड"* और इंडियन चौम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा कारपोरेट शासन में उत्कृष्टता के लिए "पीएसई उत्कृष्टता अवार्ड 2018", नवरत्न और महारत्न श्रेणी में रनर अप शामिल हैं। इसके अलावा, आरईसी को स्कोप कारपोरेट कम्युनिकेशन्स *एक्सिलेंस अवार्ड 2019* अर्थात *"सर्वोत्तम हाउस जर्नल (अंग्रेजी)"* के लिए प्रथम पुरस्कार, *"सर्वोत्तम कारपोरेट कम्युनिकेशन्स – इंटरनल"* के लिए द्वितीय पुरस्कार और "डिजीटल मीडिया का प्रभावी उपयोग" के लिए तीसरा पुरस्कार दिया गया। आरईसी को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "स्वच्छ भारत पुरस्कार" भी दिया गया।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी की एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें उपयुक्त मॉनीटरिंग प्रक्रिया भी शामिल है ताकि वह विभिन्न लेन–देनों की यथार्थ और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रचालन की दक्षता और विधिक कानूनों का अनुपालन, विनियमों और कंपनी की नीतियों को सुनिश्चित कर सके। शक्तियों के उपयुक्त प्रत्यायोजन और लेखाकरण संबंधी दिशा–निर्देश एक समान रूप से पालन करने के लिए जारी कर दिए गए हैं। आरईसी के पास आंतरिक जांच और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मैन्युअल हस्तक्षेपों के साथ आईटी आधारित परियोजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए अपना ईआरपी ऑपरेशन और ई–ऑफिस प्रणाली है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त जांच और संतुलन की व्यवस्था है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सही है, विभिन्न प्रभागों/कार्यालयों की नियमित और व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षा कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग/बाह्य व्यावसायिक लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा की जाती है। जहां भी, बाह्य लेखापरीक्षा फर्मों को आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, मार्गदर्शन के लिए ऐसी बाह्य लेखापरीक्षा फर्मों को व्यापक दिशानिर्देश दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रीय/राज्य कार्यालयों की समीक्षा लेखापरीक्षाएं भी उन कार्यालयों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग द्वारा की जाती हैं जहां आंतरिक लेखापरीक्षा तीन वर्षों से निरंतर बाहर से कराई जा रही है। आंतरिक लेखापरीक्षा में कार्यों के सभी प्रमुख क्षेत्रों की लेखापरीक्षा की जाती है, जिसमें वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, अभिनिर्धारित जटिल और जोखिमपूर्ण क्षेत्र भी शामिल हैं। निदेशक लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षा) नियमावली, 2015 में निर्धारित लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की आवधिक समीक्षा करती है।

वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी कार्य निष्पादन

कंपनी मूलधन, ब्याज आदि के प्रति अपनी बकाया राशि को समय पर प्राप्त करने को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, मानक परिसंपत्तियों (चरण–I और II) के लिए ब्याज सहित वसूली के लिए देय राशि पिछले वर्ष के दौरान 55,155.10 करोड़ रुपए की तुलना में 62,340.66 करोड़ रुपए (कोविड–19 मोरेटोरियम नीति के तहत आस्थगित 1,496.20 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं) थी। कंपनी ने मानक परिसंपत्तियों (चरण–I और II) के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 54,502.06 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 61,945.04 करोड़ रुपए की कुल राशि वसूल की है। कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्राप्त की गई वसूली दर 99.37 प्रतिशत थी। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, मानक परिसंपत्तियों (चरण–I और II) के संबंध में, ऋण न चुकाने वाले ऋण प्राप्तकर्ताओं से अधिक देय बकाया राशि 2,887.29 करोड़ रुपए (कोविड–19 मोरेटोरियम नीति के तहत आस्थगित 1,496.20 करोड़ रुपये को छोड़कर) थी। इसके अतिरिक्त, ऋण हानि वाली परिसंपत्तियों (एनपीए) (चरण–III) से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 614.69 करोड़ रुपए की राशि वसूल कर ली गई है जबकि वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 591.14 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई थी।

आरईसी की ऋण हानि वाली परिसंपत्तियां (एनपीए) (चरण–III) निम्न स्तरों पर बनी हुई हैं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की सकल ऋण हानि वाली परिसंपत्तियां (एनपीए) (चरण–III) 21,255.55 करोड़ रुपए थीं, जो सकल ऋण परिसंपत्ति का 6.59 प्रतिशत थीं और कंपनी की निवल ऋण हानि वाली परिसंपत्तियां (एनपीए) (चरण–III) 10,703,42 करोड़ रुपए थीं जो ऋण परिसंपत्ति का 3.32 प्रतिशत थीं।

स्टैंडअलोन आधार पर आरईसी की प्रचालन संबंधी आय वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 29,791.06 करोड़ रुपए थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 25,309.72 करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कर पूर्व लाभ 6,983.21 करोड़ रुपए था जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 8,100.50 करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निवल लाभ तथा कुल व्यापक आय क्रमशः 4,886.16 करोड़ रुपए और 4,336.37 करोड़ रुपए थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में वह 5,763.72 करोड़ रुपए और 5,703.18 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, आरईसी की निवल पूंजी 35,076.56 करोड़ रुपए थी जो 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 34,302.94 करोड़ रुपए की निवल पूंजी से 2.26 प्रतिशत अधिक थी।

प्रमुख वित्तीय अनुपात

कंपनी के प्रमुख वित्तीय अनुपातों में परिवर्तनों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, जो यथालागू तथा कंपनी से संबंधित हैं जिनमें कंपनी प्रचालन करती है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	1.37	1.52
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	7.99	6.98
प्रचालनात्मक लाभ मार्जिन (%)	23.23	31.88
निवल लाभ मार्जिन (%)	16.37	22.74
सकल ऋण हानि संपत्तियां (चरण–III) (%)	6.59	7.24
निवल ऋण हानि संपत्तियां (चरण–III) (%)	3.32	3.79

इसके अलावा, वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी का प्रचालनात्मक लाभ वित्तीय वर्ष में 8,069.06 करोड़ रुपये की तुलना में घटकर 6,919.37 करोड़ रुपये पर आ गया है। प्रचालन लाभ में कमी कोविड–19 महामारी के कारण मुख्यतः वैश्विक और वित्तीय बाजारों में आपवादिक अस्थिरता के कारण थी, जिसके कारण वर्ष के दौरान उच्च विदेशी विनिमय का अंतर लाभ और हानि विवरवण में प्रभारित हो गया। निवल लाभ मार्जिन में कमी के कारण भी प्रचालनात्मक लाभ मार्जिन में कमी आई। इसके अलावा, निवल मूल्य पर प्रतिफल में गिरावट 2018–19 में 17.31 प्रतिशत से 2019–20 में 14.09 प्रतिशत हो गई, जो मुख्यतः उपरोक्तानुसार कंपनी के लाभों में कमी के कारण थी।

मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की कुल मानव शक्ति 468 कर्मचारी की है जिसमें कार्यपालक संवर्ग में 385 कर्मचारी और गैर–कार्यपालक संवर्ग में 83 कर्मचारी शामिल हैं। संगठन में नई प्रतिभा को शामिल करने के लिए वर्ष के दौरान कैम्पस भर्ती के जरिए विभिन्न विभागों से 37 कार्यपालकों की नियुक्ति की गई थी।

कर्मचारियों का प्रशिक्षण और विकास कंपनी की कार्यनीति का एक अनिवार्य अंग है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्रियाकलापों आदि के लिए अपने 342 कर्मचारियों को प्रायोजित किया, जिसमें विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए गए 19 कर्मचारी शामिल हैं। इन पहलों से कंपनी 2,402 प्रशिक्षण मानव दिवस हासिल कर सकी।

कंपनी के औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच नियमित वार्तालाप होता है, जिससे विश्वास और समन्वय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। औद्योगिक अशांति के कारण मानव दिवसों में कोई कमी नहीं आई है। इसके अलावा, यहां तक कि कोविड–19 महामारी के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भी कारोबारी प्रचालन प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग और रिमोट कार्यपद्धति के कारण निर्बाध जारी रहे।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास

आरईसी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास पहल पर समुदाय संबंधी, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के समाधान पर प्रमुख बल देते हुए कार्रवाई की गई है। कंपनी "आरईसी फाउंडेशन", जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है, के माध्यम से अपने सीएसआर क्रियाकलाप करती है। बेसलाइन सर्वेक्षण, विशिष्ट समय–सीमा, चिन्हित लक्ष्यों, आवधिक निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन के साथ सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन परियोजना मोड में किया जाता है। सीएसआर परियोजनाओं के लिए वितरण पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और डिलीवरेबल्स की उपलब्धि से जुड़ा है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, बोर्ड ने 156.68 करोड़ रुपये का सीएसआर बजट अनुमोदित किया है और कंपनी ने स्वास्थ्य देखरेख (जिसमें वृद्ध व्यक्तियों और अशक्त व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं), स्वच्छ पेयजल और सफाई सुविधाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों, शिक्षा, पर्यावरणीय संधारणीयता, और ग्रामीण विकास कार्यक्रम इत्यादि के क्षेत्र में विभिन्न सीएसआर पहलों के लिए 281.62 करोड़ रुपये की कुल राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा, कंपनी ने पीएम केयर्स फंड को दिए गए योगदानों सहित विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए वर्ष के दौरान कुल 258.40 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की है। इसके विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग 'सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट' में दिए गए हैं।

कारोबारी रणनीति

आरईसी देश भर में मूल्य श्रृंखला में विद्युत क्षेत्र की जरूरतों का वित्तपोषण करने के लिए उत्पादों की व्यापक रेंज का प्रस्ताव करती है। आरईसी का मौजूदा प्रचालन क्षेत्र में सशक्त आधार है। यह नए कारोबारी क्षेत्रों में भी प्रवेश कर रही है, जो आवश्यक विनियामक अनुमोदनों के अध्यधीन यथासमय शुरू किए जाएंगे। इसमें ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं के साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज वाले क्रियाकलापों के लिए सहायता प्रदान करना भी शामिल है। आरईसी ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जैसे फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), चुनिंदा केटलोटिक रिडक्शन (एससीआर), इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपीटेटर्स (ईएसपी) इत्यादि के अलावा इलैक्ट्रो–मैकेनिकल, हाइड्रो–मैकेनिकल कंपोनेंट और बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं में इससे जुड़े सिविल कार्यों के लिए भी वित्तपोषण करती है ताकि सल्फर, नाइट्रोजन और अभिकणों के हानिकारक ऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो सके।

इस घटक के विकास में भारत सरकार की मजबूत नीतिगत सहायता को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा अगले कुछ वर्षों के दौरान आरईसी के लिए एक महत्वपूर्ण बल दिए जाने वाला क्षेत्र रहेगा। ई–वाहनों कृषि पम्प सेटों, ऊर्जा दक्ष उपकरणों, लघु पारेषण और वितरण प्रणालियों, टीबीसीबी परियोजनाओं इत्यादि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से नए कारोबारी अवसरों का सृजन होना जारी रहेगा।

कोविड–19 महामारी के भूराजनैतिक और आर्थिक प्रभावों को देखते हुए, दुनिया भर की कई कंपनियां अब अपने आपूर्ति प्रचालनों को विविधीकृत करने और अपना कारोबार भारत में अवस्थित करने पर विचार कर रही हैं। विद्युत क्षेत्र में इस बदलते परिदृश्य के कारण पर्याप्त बदलाव देखने में आया है। इस महामारी चलते मांग में कमी अस्थायी प्रकृति की रहने की संभावना है। सरकार ने इसमें शामिल सभी हितधारकों की सहायता करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। निरंतर आर्थिक और कृषि विकास से आने वाले वर्षों में विद्युत की मांग बढ़ने की संभावना है।

जोखिम प्रबंधन का ढाँचा

कंपनी की बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें संगठन के ऋण जोखिम, प्रचालन संबंधी जोखिम और बाजार संबंधी जोखिम शामिल हैं। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) भी है। आरएमसी का मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उसकी मॉनीटरिंग करना और उसको कम करने के लिए कार्यवाही का सुझाव देना है। इसके अलावा, कंपनी ने आरबीआई मानकों के तहत यथापेक्षित एक वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के रूप में नियुक्त किया है।

ऋण जोखिम वित्तपोषण करने वाले उद्योग का एक अंतर्निहित जोखिम है। इसमें ऋण लेने वाले की ऋण गुणवत्ता में कमी से उत्पन्न होने वाली घाटे का जोखिम है और वह जोखिम भी है कि उधार लेने वाले ऋण अथवा अग्रिम राशि के अंतर्गत ठेका संबंधी पुनः भुगतान करने में गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से कंपनी एक सुव्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करता है जिसमें विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान करना और समुचित निगरानी करना और उसको कम करने संबंधी उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, परियोजना संबंधी जोखिमों की नियमित रुप से समीक्षा की जाती है और उन्हें "उच्च", "मध्यम" अथवा "कम" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो परियोजना की पहचान करने सहित परिभाषित मानकों के आधार पर किए गए हैं।

दूसरी और प्रचालन संबंधी जोखिम अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों अथवा बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होता है। आरईसी में प्रचालनात्मक जोखिमों को संगठन–व्यापक जोखिम श्रेणीकरण कार्यढांचे के माध्यम से "उच्च", "मध्यम" अथवा "कम" जोखिम श्रेणियों के रूप में मापा तथा श्रेणीकृत किया जाता है जिनमें आठ कार्य क्षेत्र अर्थात व्यापार, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानूनी, प्रचालन और नीतिगत क्षेत्र शामिल हैं। कंपनी ने एक संगठन व्यापी जोखिम रजिस्टर बनाया है, ताकि विभिन्न कार्यों के लिए प्रचालनात्मक जोखिमों की पहचान, उपाय, निगरानी और उन्हें कम किया जा सके।

लिक्विडिटी जोखिम देनदारियां देय हो जाने पर उन्हें पूरी करने में असमर्थता की संभावना का जोखिम है। लिक्विडिटी जोखिम में कंपनी के स्रोतों के वित्तपोषण में परिसंपत्तियों की वृद्धि, अनियोजित बदलावों की व्यवस्था का वित्तपोषण करने की असमर्थता शामिल हैं और जरूरत पड़ने पर दायित्वों को पूरा किया जा सके। कंपनी अनुमानित वितरणों और परिपक्वता के दायित्वों के आधार पर संसाधन जुटाने सहित मिश्रित कार्यनीतियों के जरिए लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करती है।

कंपनी के बाजार जोखिम को प्रतिभूतियों की कीमतों अथवा बाजार ब्याज दर में परिवर्तन, विदेशी विनिमय अथवा परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण कंपनी की आय और पूंजी के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें ब्याज दर जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं। लिक्विडिटी ब्याज दरों और मुद्रा की दरों के संबंध में जोखिमों की निगरानी करने के लिए, कंपनी ने अपने निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) गठित की है। इसके अलावा, कंपनी की एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति भी है और बाजार जोखिम को कम करने के लिए एक हेजिंग नीति है।

सचेतक टिप्पणी

"प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण" खंड में कतिपय कथन भावी दृष्टिकोण हो सकते हैं और लागू कानूनों तथा विनियमों की अपेक्षा के अनुसार कहे गए हैं। कई कारणों से वास्तविक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, जो भावी कार्य–निष्पादन और दृष्टिकोण के संबंध में प्रबंधन की परिकल्पना से भिन्न हो सकते हैं।